23/2/2021 — पत्रावली पेश हुई, पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 10/3/2026 को पेश हो।

10/3/2026 — पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 7/4/2026 को वास्ते पालना रिपोर्ट पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

7/4/2026 — पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] द्वारा पत्रावली को Not Press किया गया। अत: पत्रावली नम्बर से उम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] Not Press [illegible]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 2109
प्रेषिति :–   दिनांकः– 31 / 12 / 2025

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ

विषय :–इजराय प्र0सं0 31 / 2025 बदरी देवी उर्फ बीना नाबालिक काली पुत्री कैलाश की पालना किये जाने बाबत्।

प्रसंग :– श्रीमान् के पत्रांक / रीडर / 2025 / 2043 दिनांक 31.10.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि इजराय प्र0सं0 31 / 2025 बदरी देवी उर्फ बीना पत्नि नरेश कुमार जाति धाकड निवासी लक्ष्मीनिवास हा.मु. बडवा, तहसील बिजौलियां बनाम नाबालिग काली पुत्री कैलाश संरक्षक सरपरस्त सुगनादेवी पत्नी कैलाश जाति कराड निवासी गोपालपुरा वगैरह में इजराय प्रकरण में पालना हेतु पटवारी हल्का गोपालपुरा को लिखा जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

पटवारी हल्का गोपालपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गोपालपुरा के खाता संख्या 99 में अंकित खसरा नं. 380 रकबा 5.11 बीघा (वर्तमान जमाबन्दी अनुसार 0. 8984 है0) कृषि भूमि मे से रकबा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण 1. नाबालिग काली पुत्री कैलाश संरक्षक सरपरस्त सुगनादेवी पत्नी कैलाश जाति कराड निवासी गोपालपुरा, 2. जगदीश पुत्र कैलाश जाति कराड निवासी गोपालपुरा, 3. नाबा. तुलसी पुत्री कैलाश संरक्षक सरपरस्त सुगनादेवी पत्नी कैलाश जाति कराड निवासी गोपालपुरा, 4. नाबा. बिल्लू पुत्री कैलाश संरक्षक सरपरस्त सुगनादेवी पत्नी कैलाश जाति कराड निवासी गोपालपुरा, 5. ममता पुत्री कैलाश जाति कराड निवासी गोपालपुरा, 6. सुगना पत्नी स्व. कैलाश जाति कराड निवासी उदपुरिया का नाम विलोपित किया जाकर वादिया बदरी देवी उर्फ बीना पत्नि नरेश कुमार जाति धाकड निवासी लक्ष्मीनिवास हा.मु. बडवा को काश्तकार (खातेदार) घोषित किया गया है। उक्त आदेश की पालना के सम्बंध में वर्तमान जमाबन्दी 2075–2078 की जांच करने पर जाहिर आया की प्रतिवादीगणो मे से जगदीश पुत्र कैलाश जाति कराड सा. गोपालपुरा, ममता पुत्री कैलाश जाति कराड सा. गोपालपुरा, सुगना पत्नि स्व. कैलाश जाति कराड सा. उदपुरिया का नाम अंकित नही है। (जमाबन्दी सलंग्न है)

अतः पटवारी रिपोर्ट की प्रति सलंग्न कर निवेदन है कि उक्त इजराय की पालना के सम्बंध में उचित मागदर्शन प्रदान कराये जाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(ललित कुमार ओडवानिया)
तहसीलदार बिजौलिया

PD ki palna latter 209